न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः निगरानी / 85 / 2014 — दायर दिनांकः 20.8.2014

देवसिंह पुत्र गुरमुखसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न. 15 रावला तहसील घडसाना
(निगरानीकर्ता)

बनाम

1. सुलखन सिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न. 15 मंगत मिढ़ा के घर के नजदीक रावला तहसील घड़साना
2. सचिव ग्राम पंचायत 8 पी.एस.डी.(बी) रावला मण्डी तहसील घडसाना
3. सरपंच ग्राम पंचायत 8 पी.एस.डी.(बी) रावला मण्डी तहसील घडसाना

(गैरनिगरानीकर्ता)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः–

1. श्री योगेन्द्र बतरा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री मनोहर लाल अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1
3. श्री राजेन्द्र सिंह अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 3

दिनांकः– 05.8.2022

:: **निर्णय** ::

1. निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के पास वार्ड न. 15 रावला में पट्टा शुदा आवासीय भूखण्ड़ साईज उत्तर से दक्षिण 37 फुट व पूर्व से पश्चिम 81 फुट है। निगरानीकर्ता के इस आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड़ के पश्चिम मे चिपता हुआ जैर निगरानी भूखण्ड़ साईज उत्तर से दक्षिण 105 फुट व पूर्व से पश्चिम 80 फुट वर्ष 1994 से आज तक निगरानीकर्ता के आधिपत्य व अधिकार में है। उक्त जैरनिगरानी भूखण्ड़ की तीन दिशा में चार दिवारी तथा चौथी में दिशा ए.एस. नहर की तरफ कच्ची चारदीवारी है जिसमें 10 फुट का गेट लगा हुआ है तथा पानी की टंकी का निर्माण किया हुआ है। निगरानीकर्ता के पट्टाशुदा भूखण्ड़ व जैर निगरानी भूखण्ड़ के मध्य कोई चार दिवारी नहीं है। दोनों भूखण्डों पर एकल निर्माण निगरानीकर्ता का है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 व 03 से मिलीभगत कर जैर निगरानी भूखण्ड़ साईज 105 गुणा 80 में से पूर्व से पश्चिम 26 व उत्तर से दक्षिण 60 फुट का पट्टा संख्या 39 दिनांक 31.3.2011 ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी) से जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी) द्वारा गृह विनियमितिकरण का निर्णय दिनांक 05.12.2011 को लिया जाकर इस विनियमितिकरण निर्णय के प्रकाश में संकल्प संख्या 1 दिनांक 06.02.2012 को लिया गया। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व व आक्षेपित संकल्प का निर्णय पारित करने से पूर्व न तो पंचायती राज अधिनियम के नियमों व आज्ञापक प्रावधानों की तथा ना ही निगरानीकर्ता को कोई सूचना दी तथा ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मौका व कब्जा संबंधी जांच भी नहीं की गई। जैर निगरानी पट्टा संख्या 39 दिनांक 31.3.2011 में अंकित उक्त भूखण्ड़ पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का कोई [illegible] नहीं है। पंचायत ने आनन–फानन में पट्टा जारी किया है। अतः ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी) द्वारा गृह विनियमितिकरण का निर्णय दिनांक 05.12.2011 और इस निर्णय के प्रकाश में लिया गया संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.02.2012 व पट्टा संख्या 39 दिनांक 31.3.2011 निरस्त किया जावे।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर [illegible] मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया गया। गैरनिगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र बतरा हाजिर आये। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहर लाल तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 11:58:30 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 16.7.2014 को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 जैरनिगरानी भूखण्ड़ पर कब्जा करने की नीयत से आये तथा निगरानीकर्ता को उक्त भूखण्ड़ खाली करने की धमकी देने लगे तथा भूखण्ड़ का पट्टा अपने नाम से जारी होना बताया। तब निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 16.7.2014 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति घडसाना के समक्ष नकल हेतु आवेदन किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.8.2014 को सचिव ग्राम पंचायत 8 पीएसडी द्वारा निगरानीकर्ता को नकल दी गई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के निगरानी अन्दर मियाद पेश की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा जान बूझ कर हस्तगत निगरानी देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से यह भलीभांती प्रकट है कि मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को आवंटन से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा इस स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। तीन सदस्य पंच कमेटी ने इस विवादित स्थली की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली, पडोसियों कें बयान भी लिये गये तथा आवंटन से पूर्व आपत्तियां दर्ज करवाने हेतु जारी किये गये नोटिस के समय निगरानीकर्ता को उक्त आवंटन की जानकारी नहीं होती ऐसा संभव ही नहीं है। निगरानीकर्ता स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय मे नहीं आये है। क्योंकि निगरानीकर्ता यह निगरानी पेश ना करता तो उसे स्थायी समिति के समक्ष 30 दिवस में अपील पेश करनी पडती। अतः निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत के उक्त आदेश की भलीभांती जानकारी होते हुए भी देरी से यह निगरानी पेश की है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार योग्य नहीं है।

5. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में निगरानीकर्ता ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। निगरानीकर्ता द्वारा धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई प्रतिशपथ पत्र भी अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 ता 3 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निगरानी भीमों के तथ्यों को दौहराया तथा कथन किया कि निगरानीकर्ता के पास वार्ड न. 15 रावला में पट्टा शुदा आवासीय भूखण्ड़ साईज उतर से दक्षिण 37 फुट व पूर्व से पश्चिम 81 फुट है। निगरानीकर्ता के इस आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड़ के पश्चिम मे चिपता हुआ जैर निगरानी भूखण्ड़ साईज उतर से दक्षिण 105 फुट व पूर्व से पश्चिम 80 फुट वर्ष 1994 से आज तक निगरानीकर्ता के आधिपत्य व अधिकार में है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 से मिली भगती कर उक्त भूखण्ड़ में से पूर्व से पश्चिम 26 फुट व उतर से दक्षिण 60 फुट का पट्टा संख्या 39 दिनांक 31.3.2011 जारी करवा लिया। जबकि ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी) द्वारा गृह विनियमितिकरण का निर्णय दिनांक 05.12.2011 को लिया जाकर इस विनियमितिकरण निर्णय के प्रकाश में संकल्प संख्या दिनांक 06.02.2012 को लिया है। जबकि विधिक रूप से उक्त समस्त कार्यवाही पट्टा जारी करने से पूर्व की जानी चाहिए थी। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व व आक्षेपित संकल्प का निर्णय पारित करने से पूर्व न तो पंचायती राज अधिनियम के नियमों व आज्ञापक प्रावधानों का पालना की गई तथा न ही निगरानीकर्ता को कोई सूचना दी एवं ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से मौका व कब्जा संबंधी जांच भी नहीं की गई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 में 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के विनियमितिकरण हेतु 100/– रूपये शुल्क जमा करवाकर उनका

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 16:58:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

विनियिमतिकरण करवाया जा सकता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में जैरकार भूखण्ड पर वर्षो से निगरानीकर्ता के ही कब्जा में चला आ रहा है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अपने कब्जा शुदा प्लाट साईज 105 गुणा 80 वर्गफुट के एकल प्लाट पर कच्ची चार दीवारी जिसमे बडा गेट तथा पानी की टंकी शौचालय, व ट्रेक्टर ट्राली खडी करने जलाऊ लकडी रखने आदि कार्य हेतु स्थान बना रखा है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत उन गृहो का विनियमितिकरण किया जा सकता है जिन पर प्रार्थी का कब्जा हो व प्रार्थी के पास रिहायश हेतु कोई अन्य मकान ना हो। जबकि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 सुलखन सिंह के पास वार्ड 15 रावला में मंगत मिढा के घर के नजदीक एक अन्य घर है जिसमें वह निवास करता है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को भेजे गये नोटिस उसी पते पर तामील हुए है। निगरानीधीन पट्टे पर लगाई गई दिनांके भी अलग अलग है, जिससे यह सिद्व होता है कि ग्रम पंचात ने आनन फानन में पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टे पर पट्टा जारी करने की दिनांक 31.03.2011 अंकित की गई है तथा संकल्प लेने की दिनांक 06.02.2012 अंकित की गई है । जिससे यह सिद्व होता है कि पट्टा पहले जारी किया गया था उक्त पट्टा बाबत संकल्प बाद में लिया गया है। ग्रम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये विधि विरूद्व तारीके से पट्टा जारी किया गया है। अतः ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (बी) के गृह विनियमितिकरण का निर्णय दिनांक 05.12. 2011 और इस निर्णय के प्रकाश में लिया गया संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.02.2012 व पट्टा संख्या 39 निरस्त किया जावे। न्यायिक दृष्टांत 2016 (4) डीएनजे (राज) पेज 1799, 2015(2)डीएनजे (राज.) पेज 596, 2013 (3) आरएलडब्ल्यू पेज 2753 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1995 के नियम 157 की ओर ध्यान दिलाया।

7. अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने अपनी बहस में लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 166 में अपील का विशेष प्रावधान है तथा यह प्रावधान भी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत है तथा इस विशेष प्रावधान के होते हुए राजस्थान पंचायजी राज राज अधिनियम की धारा 97 (3) के निगरानी के सामान्य प्रावधानों को प्रयोग में नही लाया जा सकता। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 को जैर निगरानी भूखण्ड़ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत आवंटित किया गया है जिससे व्यथीत होकर निगरानीकर्ता को पंचायत समिति की स्टेंडिग कमेटी में अपील की जानी चाहिए थी। निगरानीकर्ता ने स्वयं के कब्जा में यह विवादित प्लाट होना दर्शाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को आवंटित हुए इस विवादित प्लाट को अपनी इस निगरानी के जरिये चुनौती दी है। यदि वास्तव में आवंटन के समय यह प्लाट निगरानीकर्ता के कब्जा में होता तो आवंटन के समय मौका निरीक्षण एवं पंच कमेटी द्वारा तैयार की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में तथा आस पास के पडोसियों द्वारा भी इस बाबत रिपोर्ट की गई होती। आवंटन के समय आपत्तियां दर्ज करवाने हेतु नोटिस भी जारी किये गये थे तब भी निगरानीकर्ता द्वारा अपने कब्जा के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किये गये। मुझ गैंरनिरानीकर्ता संख्या 01 का पिछले 20 वर्षो से इस आवासीय भूखण्ड़ पर कब्जा है तथा भूखण्ड पर मकान व चार दिवारी बनाई हुई है। जो ग्राम पंचायत किये गये मौका जांच की रिपोर्ट व पंचों की रिपोर्ट से साबित है। मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत को पूर्ण फीस अदा की है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया के तहत ही पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त की जावे तथा ग्राम पंचायत का आदेश यथावत रखा जावे। न्यायिक दृष्टांत **Western Law Cases (raj)** 1995 (1) पेज 243–244, **Western Law Cases (raj) UC 2012** पेज 70–72 की ओर ध्यान दिलाया ।

8. अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी आदेश पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए तथा समस्त तथ्यों की जांच करके ही पारित किये गये है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त की जाकर ग्राम पंचायत का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता [illegible] मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन कि[illegible]त्राव[illegible] के अवलोकन से पाया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 [illegible] तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 [illegible] "[illegible] व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना [illegible] हो तो राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकेगा" उक्त नियम में 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के लिए 100/– राशि निर्धारित की गई है। जबकि ग्राम पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध पडोसियों के बयान, जंगीर सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 11:58:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

पट्टा बनवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र ग्राम पंचायत के फर्द अहकाम में 20 वर्षो से गैरनिगरानीकर्ता का कब्जा माना है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टे की शर्त संख्या 01 अनुसार उक्त पट्टा पुराने घर पर कब्जा होने की स्थिति में या संनिर्मित किये जाने की स्थति में जारी किया जा सकता है जबकि ग्राम पंचायत की पत्रावली में भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का मकान होने संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में भी प्लाट पर ही कब्जा होना अंकित किया है ना कि किसी मकान पर। हस्तगत पत्रावली में भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का विवादित प्लाट पर मकान बना होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। ग्राम पंचायत जैर निगरानी पट्टा जिन दस्तावेजो यथा पडोसियों के बयान, मौका नक्शा, कमेटी की जांच रिपोर्ट आदि पर जारी किया है, उन पर दिनांक अंकित नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ने पट्टा बनाने हेतु दिनांक 05.10.2011 को आवेदन किया गया जबकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2011 को ही पट्टा संख्या 39 जारी कर दिया और उक्त पट्टा पर संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.02.2012 की अनुपालना में दिनांक 06.02.2012 को जारी किया जाना अंकित किया है। चूंकि जब प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ही दिनांक 05.10.2011 को किया गया है तो पट्टा दिनांक 31.03.2011 को जारी किया जाना सन्देहास्प्रद है। उक्त पट्टा संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.02.12 की अनुपालना में दिनांक 31.3.2011 को जारी किया है जिससे यह साबित होता है कि उक्त पट्टा संकल्प जारी करने से पहले जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत उन्ही लोगो के कब्जा शुदा गृहो का विनियमितिकरण हो सकता है जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है। हस्तगत प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को भेजे गये उसके निवास वार्ड न. 15, मंगत मिढ़ा के घर के नजदीक रावला तहसील रावला के पते पर तामील हुए है जिससे यह स्पष्ट है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का एक अन्य आवास गृह भी है जिसमें वह निवास करता है। वकील निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में भली भांती चस्पा होते है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्ंघन कर बिना विधिक प्रकिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत 8 पीएसडी 'बी' का पट्टा संख्या 39 दिनांक 31.3.2011 निरस्त किया जाता है। निर्णय प्रति सहित ग्राम पंचायत का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 11:58:30 IST
Reason: SelfAttested